

प्रारूप-30

FORM-1

**Government of Uttarakhand
Officer of the District Collector Almora**

No-----

Dated-----23/2/2015-----

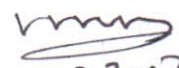
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.540 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Ranikhet (Almora)** Uttarakhand for **Construction of Motor Road from District Sector of G.G.I.C. Bhikiyasen Approach Road (0.600Km)** in **Almora** District, falls within jurisdiction of **Bhikiyasen village (s) in Bhikiyasen tehsils.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.540 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s), Gram Sabha (s) sub-Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed .
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Euel: As above


 23.02.15
 Vinod Kumar Suman
 District Collector, Almora

अल्मोड़ा.

प्रारूप-30.1

**OFFICE OF THE DUPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (UK)**

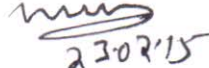
Proceeding of the meeting of the district level committee of constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss Vinod Kumar I.A.S deputy commissioner, Almora on dated 23/2/15 at time 6.00 PM in which application claiming rights in Ranikhet area measuring **0.540 hect** for the construction of **District Sector G.G.I.C. Bhikiyasen Approch Road** District Almora forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by sub Division level committee of **Bhikiyasen** sub division were discussed to consider the same for admission ny the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place- Almora

Dated.....


23.02.15
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- जिला योजना के अन्तर्गत जी0जी0आई0सी0 भिकियासैन में पहुँच मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिकियासैन

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.540 हे० वन भूमि) का जिला योजना के अन्तर्गत जी0जी0आई0सी0 भिकियासैन में पहुँच मार्ग का निर्माण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील भिकियासैन) की दिनांक 16-2-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री..... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष
- 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी..... सदस्य
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी..... सदस्य / सचिव
- 4- श्री बी0डी0सी0 क्षेत्र..... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जिला योजना में जी0जी0आई0सी0 भिकियासैन में पहुँच मार्ग का निर्माण (0.600किमी.) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भिकियासैन परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना में जी0जी0आई0सी0 भिकियासैन में पहुँच मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.540 हे० वन भूमि- निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम- जिला योजना के अन्तर्गत जी0जी0आई0सी0 भिकियासैन में पहुच मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -भिकियासैन

तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जिला योजना में जी0जी0आई0सी0 भिकियासैन में पहुँच मार्ग का निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.000 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि 0.540.हे0) अर्थात कुल 0.540 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भिकियासैन द्वारा दिनांक 14-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भिकियासैन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत भिकियासैन
क्षेत्र.....
विकास खण्ड.....
ग्राम प्रधान/सर्वपंच

ग्राम पंचायत भिकियासैन
विकास खण्ड भिकियासैन
जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
ग्राम प्रधान/सर्वपंच

मुहर सहित

